University of Lucknow | Centennial Celebrations
लखनऊ विश्वविद्यालय | शताब्दी उत्सव

डॉ0 विनोद कुमार सिंह
कुलसचिव

Dr. Vinod Kumar singh
Registrar

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ 226007(उ.प्र.)भारत
University of Lucknow
Lucknow-226007(U.P)INDIA

संख्या .....
दिनांक.....

सेवा में,

1. समस्त् संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक, इंचार्ज, ल0वि0वि0।
2. वित्त अधिकारी, ल0वि0वि0।
3. परीक्षा नियंत्रक, ल0वि0वि0।
4. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, ल0वि0वि0।
5. कार्य अधीक्षक,निर्माण विभाग, ल0वि0वि0।
6. मुख्य अभिरक्षिका, ल0वि0वि0।
7. कुलानुशासक, ल0वि0वि0।
8. ओ0एस0डी0, आई0एम0एस0, ल0वि0वि0।
9. समस्त सहायक कुलसचिव, ल0वि0वि0।

विषयः राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक राजभवन के संलग्न पत्र संख्या ई–66/जी0एस0 दिनांक 27.01.2021 के अनुपालन में लखनऊ विश्वविद्यालय/संस्थानों में विभिन्न गतिविधियों के संचालन में नियमानुसार एवं पारदर्शी व्यवस्था के तहत बिन्दुवार दिशा–निर्देशों का कियान्वयन किया जाना है।

अतः इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि राजभवन सचिवालय द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संलग्नक : यथोपरि।

संख्या GA-3961 दिनांक 03/03/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी की सूचनार्थ।
2. इंचार्ज, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि समस्त को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करें।
3. गार्ड फाइल।

28/02/2022

सहायक कुलसचिव

डॉ0 विनोद कुमार सिंह
कुलसचिव

Dr. Vinod Kumar singh
Registrar

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ 226007(उ.प्र.)भारत
University of Lucknow
Lucknow-226007(U.P)INDIA

संख्या Gn. 3889-960
दिनांक 03/03/2022

सेवा में,

1. समस्त् संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक, इंचार्ज, ल0वि0वि0।
2. वित्त अधिकारी, ल0वि0वि0।
3. परीक्षा नियंत्रक, ल0वि0वि0।
4. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, ल0वि0वि0।
5. कार्य अधीक्षक,निर्माण विभाग, ल0वि0वि0।
6. मुख्य अभिरक्षिका, ल0वि0वि0।
7. कुलानुशासक, ल0वि0वि0।
8. ओ0एस0डी0, आई0एम0एस0, ल0वि0वि0।
9. समस्त सहायक कुलसचिव, ल0वि0वि0।

विषयः राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक राजभवन के संलग्न पत्र संख्या ई–66/जी0एस0 दिनांक 27.01.2021 के अनुपालन में लखनऊ विश्वविद्यालय/संस्थानों में विभिन्न गतिविधियों के संचालन में नियमानुसार एवं पारदर्शी व्यवस्था के तहत बिन्दुवार दिशा–निर्देशों का कियान्वयन किया जाना है।

अतः इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि राजभवन सचिवालय द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संलग्नक : यथोपरि।

संख्या..... दिनांक.....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी की सूचनार्थ।
2. इंचार्ज, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि समस्त को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करें।
3. गार्ड फाइल।

सहायक कुलसचिव

[illegible]
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

राज भवन
लखनऊ – 226 027
पत्रांक–ई–661/जी०एस०
दिनांक– 27/01/2021

समस्त कुलपति / निदेशकगण,
राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश स्थित विश्वविद्यालय / संस्थानों में लेखा परीक्षा के संबंध में महालेखाकार तथा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा दिनांक 4 दिसम्बर, 2020 को राजभवन में हुई चर्चा के क्रम में पत्र दिनांक 16.12.2020 तथा 24.12.2020 द्वारा निम्न बिन्दु प्रकाश में लाये गये हैं,

महालेखाकार द्वारा इंगित बिन्दु–

1. विश्वविद्यालयों द्वारा वार्षिक लेखा बनाने में विलम्ब किया जाता है। विधि व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालयों को वार्षिक लेखा एवं तुलन पत्र (Balance sheet) बनाने की अपेक्षा है और इसका आडिट कराने की अपेक्षा है। आडिट के उपरान्त इसे सक्षम फोरम के समक्ष आडिट प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा है। बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर वार्षिक लेखा एवं तुलन पत्र (Balance sheet) अद्यतन नहीं बने हैं।
2. विश्वविद्यालयों द्वारा आडिट के दौरान लेखा परीक्षा दल को अभिलेख नहीं प्रस्तुत किये जाते, परिणामतः लेखा परीक्षा की कार्यवाही सही तरीके से सम्पन्न नहीं हो पाती। कतिपय दृष्टान्त ऐसे भी रहे हैं जब प्रधान महालेखाकार को कुलपति से वार्ता करनी पड़ी।
3. निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दु प्रकाश में आये–
   a) भूमि अधिग्रहण किये बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से अतिरिक्त देनदारियों का सृजन तथा कार्य सम्पादन में विलम्ब।
   b) तकनीकी स्वीकृति के बिना कार्य प्रारम्भ किये जाने से प्राक्कलन को अनावश्यक रूप से पुनरीक्षित करने की आवश्यकता, निर्माण कार्यों की अतिरिक्त मदों में वृद्धि से धनावंटन की कमी जिसके फलस्वरूप कार्य की गुणवत्ता प्रभावित एवं कार्य सम्पादन में विलम्ब, निर्माण कार्य के विभिन्न चरणों में तालमेल का अभाव सृजित सम्पत्तियों का अनुपयोगी रहना (यथा बिना आधारभूत सुविधाओं तथा मानवशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित किये हुए मशीनों की स्थापना)।
   c) अल्पकालीन निविदा एवं अनुबन्ध में अंश / पूर्ण प्राविधानों के अभाव में कार्य सम्पादन में विलम्ब एवं कार्य की लागत में परिहार्य वृद्धि जिसके फलस्वरूप शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्य प्रभावित।
   d) आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत एवं कार्य की आवश्यकता सुनिश्चित किये बिना निर्माण कार्यों के सम्पादन पर निष्फल व्यय / परिहार्य व्यय।
4. विभिन्न योजनाओं में सीमा से अधिक भुगतान किये जाने के मामले प्रकाश में आये।
5. कतिपय विश्वविद्यालयों में एफ०डी०आर० की रसीदें विलुप्त होनी पायी गयीं।

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

सत्यमेव जयते

राज भवन
लखनऊ - 226 027

6. कतिपय मामलों में स्रोत पर आयकर की कटौती न किये जाने के कारण विश्वविद्यालय को हानि का सामना करने की स्थिति उत्पन्न हुई।

7. विद्युत भार का सचित ऑकलन न किये जाने के कारण विश्वविद्यालय को नियमित प्रभार (Fixed charges) तथा विद्युत अधिभार के रूप में अनावश्यक व्यय करना पड़ा।

8. विश्वविद्यालयों में वित्तीय नियमों की अनदेखी के मामले प्रकाश में आये। उदाहरण के लिए – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान की धनराशि अवरूद्ध रखना, प्रवेश शुल्क को बैंक में जमा न किया जाना, परीक्षा संचालन हेतु दिए गये अग्रिमों का समायोजन लम्बित रखना, अप्रयुक्त/आवश्यकता से अधिक सामग्री की आपूर्ति एवं स्टाक पंजिका का अनियमित रख–रखाव, निविदा प्रकिया में पारदर्शिता का अभाव/कार्यों को टुकड़ों–टुकड़ों में कराया जाना।

9. विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों में निर्धारित मानकों के अनुरूप नियुक्तियां लम्बित रखना एवं अनियमित नियुक्ति पर भुगतान करना।

निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित बिन्दु:–

1. स्वयं के स्रोतों/राजकीय सहायता/अनुदान से अग्रिम के रूप में व्यक्तिगत तथा फर्मो/कार्यदायी संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा काफी अधिक मात्रा में धनराशि का लम्बे समय तक असमायोजित रहना एवं इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होना। संगठन का यह सुझाव है कि सामान्य दशा में अग्रिम स्वीकृति पर पूर्णतः रोक लगा दी जाये। यदि अग्रिम दिया जाना अपरिहार्य है तो प्राप्ति के 03 महीने के अन्दर समायोजन लेखा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत रखने की व्यवस्था रखी जाये और यदि नियत समय सीमा में समायोजन नहीं प्राप्त होता तो न्यूनतम 10 प्रतिशत ब्याज की वसूली की व्यवस्था नियमों में की जाये। किसी भी प्रयोजन हेतु अग्रिम केवल एक बार स्वीकृत किया जाये और पार्ट बिल के आधार पर त्वरित भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

2. कतिपय विश्वविद्यालयों में सृजित पदों से अधिक जनशक्ति कार्यरत पायी गयी।

3. विश्वविद्यालयों में लेखा पुस्तकें अपूर्ण रहती हैं एवं इनका नियमित सत्यापन नहीं किया जाता। कतिपय प्रकरणों में बजट एवं बैलेन्स शीट के आँकड़े वास्तविक होने नहीं पाये गये। संगठन का यह सुझाव है कि विश्वविद्यालय के लेखा प्रभारी द्वारा लेखा पुस्तकों की मासिक एवं वार्षिक लेखा बन्दी सुनिश्चित करायी जाये और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात विलम्बतम 30 सितम्बर तक आडिट सुनिश्चित करा लिया जाये। आडिट रिपोर्ट बैलेन्स शीट सहित राजभवन (कुलाधिपति कार्यालय) को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाये। विश्वविद्यालय में मास्टर कैशबुक का अनुरक्षण अनिवार्य किया जाये।

दूरभाष : 0522-2236407 फैक्स : 0522-2239438 ईमेल : governup@nic.in वेबसाईट : www.upgovernor.gov.in

4. चल/अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन करने की विश्वविद्यालयों में व्यवस्था होनी नहीं पायी गयी तथा यह भी देखा गया कि इनका उचित रीति से अभिलेखीय अनुरक्षण नहीं किया जाता। निष्प्रयोज्य सामग्रियों का भी विधि सम्मत निस्तारण विश्वविद्यालयों में नहीं होता।

5. विश्वविद्यालयों में कार्यदायी संस्थाओं से समयान्तर्गत उपभोग प्रमाण–पत्र नहीं प्राप्त किया जाता एवं सम्पत्तियों का हैन्डओवर समयान्तर्गत नहीं प्राप्त किया जाता।

6. विश्वविद्यालयों को विभिन्न वित्त पोषक संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों के उपभोग में मद विचलन के मामले प्रकाश में आये हैं और यह भी देखा गया है कि प्राप्त अनुदानों का समयान्तर्गत उपयोग नहीं किया जाता।

7. विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं के आय के स्रोत में वृद्धि करने की कोई रूचि नहीं होती। परिणामतः उनकी राजकीय अनुदानों पर निरन्तर निर्भरता बढ़ती जा रही है।

8. कतिपय विश्वविद्यालयों में यह पाया गया है कि राज्य सरकार से स्वीकृति की प्रत्याशा में अथवा बिना पूर्व स्वीकृति के विश्वविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मियों को अनुमोदित दरों से उच्च दर पर वेतन भुगतान किया गया है।

9. कतिपय विश्वविद्यालयों में वित्त पोषक संस्थाओं से अनुदान/सहायता प्राप्त निर्धारित अवधि की परियोजनाओं एवं स्ववित्तपोषित योजनाओं में अस्थायी रूप से स्वीकृत जनशक्ति को नियमित कार्मिकों की भाँति पूर्ण वेतन दिया जाना तथा अन्य लाभ प्रदान किया जाना पाया गया है।

10. विभिन्न प्रशासनिक पदों पर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मियों की तैनाती विश्वविद्यालयों में की जाती है। इससे जहाँ एक ओर शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक/वित्त विशेषज्ञ की सेवा के अभाव में गम्भीर अनियमितताओं की सम्भावना में वृद्धि होती है।

11. विश्वविद्यालयों में अधिकारियों/कर्मियों को प्रत्येक वर्ष मानदेय के रूप में भारी धनराशि का राजकीय अनुदान से व्यय किया जाता है। चूँकि इन कार्मिकों को अनुमन्य वेतन भत्ते राज्य कर्मचारियों की भाँति होते हैं, अतः इनको मानदेय का भुगतान भी राज्य कर्मचारियों के लिए लागू मानदेय की व्यवस्था के अनुरूप ही किया जाये।

12. कतिपय विश्वविद्यालयों में छात्रों से फीस की वसूली में शिथिलता एवं उसके सत्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं है। संगठन द्वारा सुझाव दिया गया है कि छात्रों से फीस प्राप्त करने की तथा शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान की आनलाइन व्यवस्था की जानी चाहिए तथा इसका मासिक मिलान अनिवार्य रूप से किया जाये।

13. परीक्षा के आयोजनार्थ व्यय की गयी गोपनीय धनराशि के व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों का आडिट न कराया जाना। संगठन द्वारा इंगित किया गया कि उच्च शिक्षा विभाग से जारी

दूरभाष : 0522-2236497 फैक्स : 0522-2239488 ईमेल : hgovup@gov.in वेबसाइट : www.upgovernor.gov.in

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

सत्यमेव जयते

(5)

राज भवन
लखनऊ - 226 027

शासनादेश के अनुसार प्रत्येक परीक्षा समाप्ति के एक साल बाद गोपनीय व्यय का आडिट कराकर आडिट रिपोर्ट 06 माह के अन्दर कुलपति द्वारा कुलाधिपति कार्यालय को प्रेषित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

14. कतिपय विश्वविद्यालयों में क्रय नियमों का उल्लंघन कर चुनरी एवं जनरलों का क्रय किया जाना पाया गया और यह भी पाया गया कि इनका नियमानुसार वर्षानुवर्ष भौतिक सत्यापन भी नहीं किया जाता।

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त महालेखाकार तथा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों के कतिपय प्रकरण विशेष जिनमें उपरोक्त प्रकार की अनियमिततायें पायी गयी हैं, का उल्लेख किया गया है। इनके बारे में अलग से पत्र भेजा जा रहा है।

महालेखाकार तथा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित उपरोक्त बिन्दु आपको इस अनुरोध के साथ संज्ञान में लाये जा रहे हैं कि कृपया इन बिन्दुओं का संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालयों/संस्थानों में विभिन्न गतिविधियों के संचालन में ऐसी व्यवस्था बनायी जाये कि सभी गतिविधियाँ नियमानुसार एवं पारदर्शी व्यवस्था के तहत क्रियान्वित हो और उपरोक्त संगठनों द्वारा जो विषय उठाये गये हैं उनकी पुनरावृत्ति न होने पाये। इस बारे में पूर्व में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संज्ञानित किया गया था।

आनंदीबेन
(आनंदीबेन पटेल)

दूरभाष : 0522-2236497 फैक्स : 0522-2239488 ई-मेल : hgovup@nic.in वेबसाइट : www.upgovernor.gov.in